

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची

विद्यालय प्रबंधन समिति गठन प्रपत्र

प्रखण्ड

पंचायत

राजस्व गाँव / वार्ड

टोला

विद्यालय का नाम

विद्यालय का यूडायस कोड

विद्यालय का प्रकार, (प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक)

संकुल संसाधन केन्द्र

संकलित प्राथमिक सूचनाएँ

➤ विद्यालय में शिक्षकों की कुल स्वीकृत ईकाई :-

➤ विद्यालय में कुल कार्यरत शिक्षक (कुल)	पु0	म0
सरकारी शिक्षक	पु0	म0
पारा शिक्षक	पु0	म0

प्रधान शिक्षक का नाम एवं दुरभाष संख्या :- श्री/श्रीमती/सुश्री

➤ विद्यालय के पोषक क्षेत्र (गाँव/टोले/मुहल्ले) का नाम, विद्यालय की सीमा

➤ पोषक क्षेत्र की कुल जनसंख्या :-

➤ कुल घरों की संख्या :-

➤ आयोजित आम सभा में उपस्थित ग्रामीणों की कुल संख्या :-

गठन हेतु स्थल का नाम

विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन हेतु आम सभा की कार्यवाही

आज दिनांक को प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति गठन करने के लिए प्रखण्ड स्तरीय परियोजना कार्यालय द्वारा प्रतिनियोजित पदाधिकारी/साधन सेवी श्री/श्रीमती/सुश्री के उपस्थिति में आम सभा का आयोजन किया गया।

सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न/अपराह्न प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम श्री/श्रीमती/सुश्री को इस सभा का सभाध्यक्ष चुना गया जिनकी अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कार्य शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुई। माननीय चयनित सदस्यों को शपथ कराई गई एवं सदस्यगण भी विद्यालय के सर्वांगीन विकास हेतु योगदान देने पर सहमति दी गई।

अंत में सभाध्यक्ष के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद सभा की कार्यवाही सभा समाप्त की गई।

सभाध्यक्ष/सभाध्यक्षा

आयोजित आमसभा के चयनित सभाध्यक्ष/सभाध्यक्षा के प्रस्तावक एवं समर्थक का विवरण

सभाध्यक्ष/सभाध्यक्षा का नाम	प्रस्तावक का नाम	समर्थक का नाम

विद्यालय प्रबंधन समिति के माननीय चयनित सदस्यों की विवरणी

श्रेणी	क्र०	माननीय चयनित सदस्यों का नाम	लिंग	पिता/पति का नाम	पदनाम	माननीय सदस्यों के विद्यालय में नामांकित बच्चों का नाम एवं वर्ग	माननीय चयनित सदस्यों का हस्ताक्षर
मता-पिता/अभिभावक/संरक्षक — नामांकन सीमा (अधिकतम 100— सदस्य 11) (101 से 500—सदस्य 15) (500 से अधिक— सदस्य 19)	1				अध्यक्ष	1. 2. 3.	
प्रधानाध्यापक-सह-सचिव — नामांकन सीमा (अधिकतम 100, 101 से 500 एवं 500 से अधिक—सदस्य 01)	2						
चयनित शिक्षकों की संख्या (न्यूनतम 01 महिला शिक्षिका एवं 01 पुरुष शिक्षक अनिवार्य होंगे)— नामांकन सीमा (अधिकतम 100— सदस्य 01) (101 से 500 एवं 500 से अधिक— सदस्य 02)	3						
स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचित (Elected) सदस्य— नामांकन सीमा (अधिकतम 100, 101 से 500 एवं 500 से अधिक—सदस्य 01)	4						
समुदाय के अग्रिम कार्यकर्ता जैसे- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (AWW)/मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ASHA)/सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) — जो विद्यालय के आसपास कार्यरत हों— नामांकन सीमा (अधिकतम 100 एवं 101 से 500— सदस्य 01) (500 से अधिक— सदस्य 02)	5						

मता-पिता/अभिभावक/संरक्षक - नामांकन सीमा (अधिकतम 100- सदस्य 11) (101 से 500-सदस्य 15) (500 से अधिक- सदस्य 19)	6					1.	
						2.	
						3.	
वही	7					1.	
						2.	
						3.	
वही	8					1.	
						2.	
						3.	
वही	9					1.	
						2.	
						3.	
वही	10					1.	
						2.	
						3.	
वही	11					1.	
						2.	
						3.	
वही	12					1.	
						2.	
						3.	
वही	13					1.	
						2.	
						3.	

वही	14					1.	
						2.	
						3.	
वही	15					1.	
						2.	
						3.	
वही	16					1.	
						2.	
						3.	
वही	17					1.	
						2.	
						3.	
वही	18					1.	
						2.	
						3.	
वही	19					1.	
						2.	
						3.	
वही	20					1.	
						2.	
						3.	
वही	21					1.	
						2.	
						3.	

वही	22					1.	
						2.	
						3.	
वही	23					1.	
						2.	
						3.	
वही	24					1.	
						2.	
						3.	
वही	25					1.	
						2.	
						3.	

प्रधानाध्यापक—सह—सचिव

हस्ताक्षर एवं मुहर

.....

.....

प्रखण्ड स्तर से प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक/पदाधिकारी का हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

.....

.....

[illegible]

